

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सुवा पिता रामा रेगर निवारी पीपलून्द
बनाम

हीरालाल पिता छीतर लाल रेगर निवारी पीपलून्द वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 258/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
01/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द आराजी सं. 2596/4 कुल किता 01 रकबा 0.06475 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द आराजी सं. 2596/4 कुल किता 01 रकबा 0.06475 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

मौलिक उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुर

/ 2024 / 2596 / 2024

दिनांक 01/06/2024

मौलिक उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 2596/2024 राजा पिता रामा रेमर निवासी पीपलून्द मुनाम हीरालाल पिता छीतर लाल रेमर निवासी पीपलून्द, मयूलाल पिता छीतर लाल हरिजन निवासी पीपलून्द, लाली पुत्री छीतर लाल हरिजन निवासी पीपलून्द, दुर्गा पिता काना रेमर निवासी पीपलून्द, नन्दलाल पिता काना रेमर निवासी पीपलून्द, सांवता पिता काना रेमर निवासी पीपलून्द, तहसीलदार जहाजपुर पथरगढी की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित चुनाव के प्रकरण में ग्राम पीपलून्द प.ह. पलून्द आराजी सं. 2596/4 कुल कित्ता 01 रकबा 0.06475 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी पक्ष पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा कराने। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योग में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुर